न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II , RAS

अपील संख्या 30 / 2016

दीपचन्द	बनाम	गीता देवी आदि

अपील संख्या 31 / 2016

दीपचन्द	बनाम	गीता देवी आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व कन्सोलिडेट करने अपीले

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–आदेश–

दिनांकः– 26/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा संपरिवर्तन आदेश कमांक / रूपान्तरण / 11 / 12 दिनांक 31.05.2011, कमांक / रूपान्तरण / 11 / 44 दिनांक 21.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। उभयपक्ष को आवेदन धारा 96 सीपीसी व कन्सोलिडेट करने अपील पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश जैर बहस से आवेदक प्रभावित है। आदेश जैर बहस आवेदक के हितों के विरूद्ध है। आवेदक के कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 1241 / 176 व 1242 / 176 की जगह अनावेदक नम्बर 1 ने नक्शाशीट में हाल खसरा नम्बर 1512 / 176 दर्ज करवाकर गलत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

राजस्व रिकार्ड के आधार पर अनावेदिका संख्या 1 ने आदेश जैर बहस पारित करवाया है। इस कारण आवेदक को अपील करने का हक है। आवेदक को संपरिवर्तन आदेश दिनांक 21.03.2011, 31.05.2011 के विरूद्ध अपील पेश करने की ईजाजत प्रदान की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सम्परिवर्तित भूमि के खसरा नम्बर व आदेश पृथक–पृथक है। अतः रेस्पोडेन्टं का दोनों अपीलों को समेकित करने का आवेदन खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदक ने अपील की मद संख्या 3 में कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा कुल क्षेत्रफल 0. 22 हैक्टेयर भूमि का संपरिवर्तन करवाया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1241/176 रकबा 0.22 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 1242/176 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ की भूमि है। उक्त मद में वर्णित अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे पारित दोनों संपरितर्वन आदेशों को चेलेन्ज नहीं करना व उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा सहमति के विभाजन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 1512/176 बंटवारे में दिये जाने के तथ्य मौजुद होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र अकेले के हित प्रभावित होने के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं झुठा सिद्ध होता है। इस कारण भी आवेदक का प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा विक्रेता ललित कुमार पुत्र देवकीनन्दन के हक में भूमि खसरा नम्बर 176 के बाबत पंजीकृत मुख्तयारनामा आम जारी किया गया था। मुख्तयारनामा आम दिनांक 24.09.2005 में अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 0.81 हैक्टेयर की भूमि खातेदारी व पट्टेशुदा भूमि के बाबत पंजीकृत मुख्तयारनामा आम जारी किया गया व मुख्तयारनामा आम द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना व मुख्तयार आम द्वारा सहमति का विभाजन करवाना अपीलान्ट के द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना व सहमति का विभाजन करवाना कानूनन वैध कृत्य है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के सगे भाई ललित कुमार जो अपीलान्ट का मुख्तयार आम था के विरूद्ध मौजुदा अपील में व अन्य कही पर भी कोई आरोप नहीं लगाना अपीलान्ट की दुर्भावना साबित करना है। इस कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत अपील के बाबत अपीलान्ट को कोई कानूनन हक प्राप्त नहीं होता है। अपीलान्ट का दफा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उक्त कारण से भी खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील संख्या 30/2016 व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

31/2016 की विषय वस्तु एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों को समेकित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 30/2016 व 31/2016 अलग–अलग खसरा नम्बर के संपरिर्वतन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों को विषयवस्तु समान नहीं होने से दोनों अपीलों का समेकित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन कन्सोलिडेट करने का खारिज किया जाता है।

जहां तक धारा 96 सीपीसी के आवेदन का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट आवेदक ने अपील की मद संख्या 3 में कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा कुल क्षेत्रफल 0.22 हैक्टेयर भूमि का संपरिवर्तन करवाया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1241/176 रकबा 0.22 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 1242/176 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे पारित दोनों संपरितर्वन आदेशों को चुनौती नहीं देकर व उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा सहमति के विभाजन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 1512/176 बंटवारे में दिये जाने के तथ्य मौजुद होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र अकेले के हित प्रभावित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रारम्भ से जानकारी रही है। अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी खारिज होने योग्य है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्ट द्वारा विक्रेता ललित कुमार पुत्र देवकीनन्दन के हक में भूमि खसरा नम्बर 176 के बाबत पंजीकृत मुख्तयारनामा आम जारी किया गया था। मुख्तयारनामा आम दिनांक 24.09.2005 में अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 0.81 हैक्टेयर की भूमि खातेदारी व पट्टेशुदा भूमि के बाबत पंजीकृत मुख्तयारनामा आम जारी किया गया व मुख्तयारनामा आम द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना व मुख्तयार आम द्वारा सहमति का विभाजन करवाना अपीलान्ट के द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना व सहमति का विभाजन करवाना स्वीकृत तथ्य है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के सगे भाई ललित कुमार जो अपीलान्ट का मुख्तयार आम था के विरूद्ध मौजुदा अपील में व अन्य कही पर भी कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का दफा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील संख्या 30/2016, 31/2016 इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर